ई-1734234

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 12 सितम्बर, 2023

विषयः- जिला कारागार, इटावा की विशेष मरम्मत एवं ओवरक्राउडिंग के दृष्टिगत विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-26306/सामा-1(8)/168/इटावा, दिनांक 21-08-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बैरकों, आवासीय/अनावासीय भवनों में विशेष मरम्मत के साथ ओवरक्राउडिंग की समस्या के निदान हेतु जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध जनपद-इटावा के समस्त विचाराधीन बंदियों एवं 07 वर्ष से कम सजावधि से दण्डित समस्त सिद्धदोष बंदियों (अति वृद्ध एवं गम्भीर रूप से बीमार बंदियों को छोड़ते हुए) को नवनिर्मित/संचालित केन्द्रीय कारागार, इटावा में स्थानांतरित करने एवं भविष्य में जनपद-इटावा के निरूद्ध होने वाले समस्त श्रेणी के बंदीगण को केन्द्रीय कारागार, इटावा में ही निरूद्ध किये जाने की अस्थायी व्यवस्था के साथ जनपद-औरैया के समस्त विचाराधीन बंदी एवं ऐसे सिद्धदोष बंदीगण जो 07 वर्ष से कम सजावधि से दण्डित हैं, को जिला कारागार, इटावा में ही कारागार विहीन जनपद-औरैया में नवीन कारागार निर्माण एवं संचालन अवधि तक जिला कारागार, इटावा में अस्थायी रूप से निरूद्ध रखने के सम्बन्ध में आदेश उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किये गये अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जिला कारागार, इटावा की विशेष मरम्मत एवं ओवरक्राउडिंग की समस्या के निदान हेतु उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था अस्थायी रूप से जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध जनपद-इटावा के समस्त विचाराधीन बंदियों एवं 07 वर्ष से कम सजावधि से दण्डित समस्त सिद्धदोष बंदियों (अति वृद्ध एवं गम्भीर रूप से बीमार बंदियों को छोड़ते हुए) को नवनिर्मित/संचालित केन्द्रीय कारागार, इटावा में स्थानांतरित किया जाना।

(2) भविष्य में जनपद-इटावा के निरूद्ध होने वाले समस्त श्रेणी के बंदीगण को केन्द्रीय कारागार, इटावा में ही निरूद्ध किये जाने की अस्थायी व्यवस्था किया जाना।

(3) कारागार विहीन जनपद-औरैया में नवीन कारागार निर्माण एवं संचालन अवधि तक जनपद-औरैया के समस्त विचाराधीन बंदी एवं ऐसे सिद्धदोष बंदीगण जो 07 वर्ष से कम सजावधि से दण्डित हैं, को जिला कारागार, इटावा में ही निरूद्ध रखा जाना।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in